Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA

[L.D. Appeal Case No.-13/2025-26]

Ganeshi Yadav.....Appellants.

Versus

The State of Bihar & Ors.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	28.2.2026	**आदेश** यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-125/2023-24 में दिनांक-26.3.2025 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। प्रश्नगत भूमि का विवरणी निम्नानुसार है :-	

अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
बनमनखी	जियनगंज/ 101	193	2816	2 एकड़ 50 डी.

दिनांक 05.2.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। उभय पक्ष की ओर से Written Note of Argument दाखिल है।

अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन के खतियानी रैयत राम कुमार मिश्रा, पिता-स्व. जगदीश प्रसाद मिश्रा हैं। तथा यह कि खतियानी रैयत के अनुमति से उनके द्वारा प्रश्नगत जमीन पर खेती-बाड़ी किया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि जगदीश प्रसाद मंडल एवं जय नारायण मंडल के विरूद्ध सीलिंग केस सं.-1115/1976 चलाया गया, जिसके उपरान्त जगदीश प्रसाद मिश्रा के उक्त खतियानी खाता सं.-196 खेसरा सं.-2816 के 8.45 एकड़ जमीन को गजट नोटिफिकेशन सं.-183 दिनांक-30.4.1976 के द्वारा गलत रूप से Surplus जमीन घोषित किया गया। जिसके आलोक में खतियानी रैयत के द्वारा दिनांक-31.1.2024 को समाहर्त्ता, पूर्णिया के समक्ष वाद दायर किया गया। जो admission हेतु लंबित है। उनका यह भी कहना है कि प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी का कभी भी दखल-कब्जा नहीं रहा है। जबकि विपक्षी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन उनके पूर्वजों को दिनांक-05.6.1976 को लाल कार्ड के माध्यम से बंदोबस्त किया गया था। जिसके उपरान्त उनके पूर्वजों के नाम से जमाबंदी कायम किया गया एवं अद्यतन लगान दिया जा रहा है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रश्नगत जमीन विपक्षी के पूर्वजों यथा-ठाकुर मुनि, प्रसादी मुनि एवं कुंजी दास को लाल कार्ड बंदोबस्ती के माध्यम से प्राप्त है। जिसपर क्रमशः उनका जमाबंदी सं.-310, 308 एवं 316 कायम है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमीन पर अपीलार्थी द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। खतियानी रैयत द्वारा उनकी जमीन को कथित गलत रूप से वर्ष 1976 में सीलिंग Surplus अधिसूचित होने के लगभग 48 वर्षों के बाद समाहर्त्ता, पूर्णिया के न्यायालय में सुधार हेतु लाया

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

	28.2.2026	गया है। किसी भी Legal Court Proceedings में अपना पक्ष नहीं रखना तथा कालान्तर में दावा करने के आधार पर Post facto Relief विधिमान्य नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी की ओर से विपक्षीगण के उपरोक्त बंदोबस्ती पर्चा (लाल कार्ड) को विधिमान्य नहीं मानने के संबंध में कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। 28/2/2026. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। लेखापित एवं शुद्धित। 28/2/2026. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया	